हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व वाद संख्या 47/2014
बशीर व अन्य बनाम रेहान गनी व अन्य
अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

25.03.2022

वादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत किया एंव पत्रावली आज ही तलब कर सुने जाने का निवेदन किया। वादी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 मय मियाद अधिनियम का मय वारिसान वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी बशीर का निधन दिनांक .08/07/2021 को हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 मे अंकित है जिन्हे रिकार्ड पर लिया जाने के आदेश प्रदान करावे। वादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विलम्ब अवधि को कन्डोन कर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। मृतक वादी बशीर के वारिसान ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण उक्त वाद को आगे नही चलाना चाहते है। वाद को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

हमने मृतक वादी बशीर के विधिक वारिसान को प्रार्थना पत्र पर सुना तथा रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि मृतक बशीर के वारिसान उक्त वाद को आगे चलाना नही चाहते है एंव वाद को विड्रो करना चाहते है। अपने कथनो के समर्थन मे वादी के विधिक वारिसानो के द्वारा वाद आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित किये जिन्हे उनके अभिभाषक ने पहचान कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। चूंकि मृतक के वारिसान वादीगण उक्त वाद को आगे चलाना नही चाहते है। अतः वादी के वारिसानो के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को विड्रो खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (म.), अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2022.05.04 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested